कार्यालय प्राचार्य, शा. लाल कालिन्द सिंह महाविद्यालय, अंतागढ़

जिला – उ.ब. कांकेर (छ.ग.) 494665

E-mail :- glksdcollege_antagarh@yahoo.co.in Log on : www.govtlkscollegeantagarh.ac.in

क्रमांकः 139/अ.व्या./2024–25 अंतागढ़, दिनांक– 11/07/2024

//अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन//

कार्यालय आयुक्त उ.शि.संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक 574/126/आउशि/राज स्था/नवा रायपुर दिनाँक 06/07/2024 एवं छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ–3–54/स्था/2020/38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनाँक 20/06/2024 के अनुसार **शासकीय लाल कालिन्द सिंह महाविद्यालय, अंतागढ़, जिला – उ0ब0 कांकेर (छ0ग0)** में नीचे उल्लेखित विषयों में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन **दिनाँक 23/07/2024** तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्रमांक	विषय	रिक्त पद का नाम	संख्या
01	वनस्पति विज्ञान	सहायक प्राध्यापक	01
02	सुक्ष्म जीव विज्ञान	सहायक प्राध्यापक	01
03	आ.पा. अंग्रेजी भाषा	सहायक प्राध्यापक	01

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

- अतिथि व्याख्याता हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबंधी विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत होनी चाहिए।
- आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष तक।
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

टीप :– संबंधित विषय में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भरे जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तें :–

- आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल/पी.एच.डी व अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- आवेदन **दिनाँक 23/07/2024** तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गए आवेदन मान्य नहीं होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

- प्राप्त आवेदनों की पदमवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनाँक 24/07/2024 तक महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा।
- गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम मेरिट सूची में **दावा आपत्ति** दिनाँक 25/07/2024 से 26/07/2024 तक होगी।
- अनंतिम चयन सूची का प्रकाशन दिनाँक 27/07/2024 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय के सूचना पटल अथवा वेबसाईट पर किया जाएगा।
- आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचारधीन नही है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नही पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त नही की गई है।
- आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नही किया जाएगा।
- अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं भविष्य में नियमतिकरण का आधार नहीं होगा।
- आवेदक बंद लिफाफे के उपर पत्रचार का पता एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें।

अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ)	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये		
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/-	300/-
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- (41,600/-प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- (30,000/-प्रतिमाह अधिकतम)
(ब)	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये		
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/-	350/-
4	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- (50,000/-प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35,000/-प्रतिमाह अधिकतम)

- इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जाएगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।
- इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना होगा।
- कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यकम, कीडा गतिविधियों, युवा एत्सव, आंतरिक परीक्षा का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन, संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
- यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे। ही सेवा भविष्य में नियमतिकरण का आधार नहीं होगा।

प्राचार्य

शासकीय लाल कालिन्द सिंह महाविद्यालय,
अंतागढ़, जिला - उ0ब0 कांकेर (छ0ग0)

Scanned with CamScanner